



मेरठ

विकास

प्राधिकरण,

मेरठ।

## ई-निविदा आमन्त्रण सूचना

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न कार्यो हेतु प्राधिकरण में उपयुक्त श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों से सपटित नियम व शर्तों के अधीन ई-निविदाये आमन्त्रित की जाती हैं:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर राशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	ई-निविदा डाउनलोड/अपलोड करने की प्रारम्भिक तिथि	ई-निविदा डाउनलोड/अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय	ई-निविदा खोलने की तिथि व समय	कार्य अवधि	कार्य की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	वेदव्यासपुरी योजना के सैक्टर-3 में व्यवसायिक भूखण्डों में सीवर एवं पानी के कनेक्शन का कार्य।	15.05	0.31	2350/-	06-02-24 4.00 PM	20-02-24 12.00 PM	20-02-24 02.00PM	3 माह	सी

शर्त :-

- निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि केवल RTGS/NEFT के माध्यम से निविदा प्रपत्र में उल्लेखित बैंक खाते में जमा करायी जायेगी।
- निविदा प्रपत्र वेबसाईट <https://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक निविदादाताओं से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाईट को देखते रहें। निविदाओं के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन/परिवर्धन विषयक सूचना वेबसाईट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
- निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ में निहित है।
- सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदा के साथ धरोहर राशि व निविदा मूल्य के RTGS का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- निविदादाता को फर्म का बैंक एकाउन्ट नं०, आई0एफ0एस0सी0 कोड एवं बैंक का नाम व स्थान का ब्यौरा संलग्न कराना अनिवार्य होगा।
- ठेकेदार द्वारा निविदत्त दरें बी0ओ0क्यू0 में वर्णित दरों से निम्न प्राप्त होने पर नियमानुसार परफोरमेन्स गारन्टी देय होगी।
- कार्यो के विषय में विस्तृत शर्तें एवं अन्य विवरण सम्बन्धित खण्ड/अनुभाग के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में देखी जा सकती है।
- उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिक पंजीयन, अधिष्ठान पंजीयन एवं लाभार्थी श्रमिकों द्वारा योजना का हितलाभ प्राप्त किये जाने हेतु आनलाईन आवेदन/पंजीयन की व्यवस्था की गई है। अतः कार्य आंवटित होने की दशा में कार्यदेश निर्गत होने और निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के मध्य सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार द्वारा आवंटित कार्य के सापेक्ष भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम-1996 के अन्तर्गत श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाना होगा।
- प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ई.पी.सी.ए.) द्वारा निर्धारित कार्ययोजना, ग्रेडिड रिस्पॉस एक्शन प्लान (GRAP) के मानकों/प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
- सीवर सफाई के कार्यो हेतु श्रमिकों को वांछित सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करते हुए ही कराये जाने होंगे, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना न रहे। श्रमिकों की सुरक्षा का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।

मुख्य अभियन्ता,

पत्रांक: 608/मु0अभि0-कार्या0/2024-25

दिनांक : 03-2-2024

प्रतिलिपि:

- सचिव महोदय को सूचनार्थ।
- वित्त नियन्त्रक को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/प्रभारी विद्युत को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह सम्बन्धित कार्यो के निविदा प्रपत्र/बी.ओ.क्यू. कम्प्यूटर अनुभाग को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- श्री शरद श्रीवास्तव, सहायक प्रोग्रामर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निविदा आमन्त्रण सूचना तत्काल प्राधिकरण की वेबसाईट पर एवं निर्धारित अवधि में निविदा प्रपत्र एन0आई0सी0 ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- अवर अभियन्ता-रखरखाव को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

श्री शरद

Shard  
31/2/24

मुख्य अभियन्ता